न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :- मुन्नीराम बागड़िया
आर.ए.एस.

अपील संख्या :- 07/2018

बिहारीलाल पुत्र श्री घीसाराम जाति गुर्जर निवासी रंवा, तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं।

—अपीलार्थी

—बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।

— रेस्पोडेन्ट

प्रथम अपील विरूद्ध निर्णय व आदेश दिनांक 24.11.2017
बअदालत नायब तहसीलदार खेतड़ी उनवानी प्रकरण सरकार बनाम बिहारी
मु.न. 44/2017, अ. धारा 91 एल.आर.एक्ट. भू राजस्व अधि. 1956

उपस्थितिः—

1 .श्री मुकरर्म अंसारी , एडवोकेट ——— — ———अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी,एडवोकेट———————रेस्पोडेन्ट की ओर से।

—निर्णय— दिनांक 11.06.2018

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय व आदेश दिनांक 24.11.2017 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम बिहारी मु.न. 44/2017 अ. धारा 91 एल.आर.एक्ट. भू राजस्व अधि. 1956 न्यायालय नायब तहसीलदार खेतड़ी के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि— अपीलांट को अदालत मातहत द्वारा एक नोटिस अं0धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम का इस आशय का जारी किया गया कि अपीलांट द्वारा भूमि खसरा नंबर 187 ग्राम रवा तहसील खेतड़ी की भूमि पर 08 वर्गमीटर पर अतिक्रमण किया है, जबकि वर्तमान में अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है। पटवारी हल्का द्वारा गांव की राजनैतिक द्वैषता के कारण अपीलांट के खिलाफ गलत रिपोर्ट तैयार कर कार्यवाही की है। अपीलांट द्वारा श्रीमान जिला कलक्टर को पटवारी हल्का व गिरदावर की शिकायत की थी जिससे भी अपीलांटस से नाराज थ। अपीलांट ने कोई अतिक्रमण नहीं किया है और ना ही मौके पर कोई अतिक्रमण है। अदालत मातहत का आदेश दिनांक 24.11.2017 विरूद्ध कानून व पत्रावली होने से निरस्त होने योग्य है। अदालत

मातहत ने हल्का परीवारी की रिपोर्ट पर विश्वास कर अपीलाट को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही मनमाने रूप से एक पक्षीय आदेश पारित किया है । दिनांक 26.8.2016 को अपीलांट को बेदखल कर दिया बेदखली के बाद अपीलांट ने कोई पुनः अतिक्रमण नहीं किया। अदालत मातहत ने पटवारी हल्का की रंजिसवश अपीलांट को हैरान व परेशान करने के आशय से पश्चातवर्ती अतिक्रमण का झूठा नोटिस बिना किसी जांच के दिये है और बतल रूपसे प्रार्थी को दण्डित करने का आदेश प्रदान किया गया। अदालत मातहत ने निर्णय दिनांक 24.11.2017 जो पारित किया है उसमें पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया है,पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का के कोई बयान दर्ज नहीं किये। बयान के आधार पर ही प्रार्थी अपीलांट के खिलाफ अतिक्रमण साबित होता है।इस तथ्य पर गोर नहीं कर अदालत मातहत ने गलत रूप से निर्णय पारित किया गया है।

अतः अपील अपीलांट पेशकर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 24.11.2017 को निरस्त फरमाया जावे।अदालत मातहत द्वारा की गई सजा से भी अपीलांट को दोषमुक्त किया जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि:– अपीलांट को अदालत मातहत द्वारा एक नोटिस अं0धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम का इस आशय का जारी किया गया कि अपीलांट द्वारा भूमि खसरा नंबर 187 ग्राम रवा तहसील खेतड़ी की भूमि पर 08 वर्गमीटर पर अतिक्रमण किया है, जबकि वर्तमान में अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है। पटवारी हल्का द्वारा गांव की राजनैतिक द्वैषता के कारण अपीलांट के खिलाफ गलत रिपोर्ट तैयार कर कार्यवाही की है। अपीलांट द्वारा श्रीमान जिला कलक्टर को पटवारी हल्का व गिरदावर की शिकायत की थी जिससे भी अपीलांटस से नाराज थ। अपीलांट ने कोई अतिक्रमण नही किया है और ना ही मौंके पर कोई अतिक्रमण है। अदालत मातहत ने हल्का पटवारी की रिपोर्ट पर विश्वास कर अपीलाट को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही मनमाने रूप से एक पक्षीय आदेश दिनांक 24.11.2017 पारित किया है और दिनांक 26.8.2016

को अपीलांट को बेदखल कर दिया। बेदखली के बाद अपीलांट ने कोई पुनः अतिक्रमण नहीं किया। अदालत मातहत ने पटवारी हल्का की रंजिसवश अपीलांट को हैरान व परेशान करने के आशय से पश्चातवर्ती अतिक्रमण का झूठा नोटिस बिना किसी जांच के दिये है और बतल रूपसे प्रार्थी को दण्डित करने का आदेश प्रदान किया गया। अदालत मातहत ने निर्णय दिनांक 24.11. 2017 जो पारित किया है उसमें पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया है, पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का के कोई बयान दर्ज नहीं किये। बयान के आधार पर ही प्रार्थी अपीलांट के खिलाफ अतिक्रमण साबित होता है।इस तथ्य पर गोर नहीं कर अदालत मातहत ने गलत रूप से निर्णय पारित किया गया है।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलान्ट द्वारा ग्राम रवां स्थित राजकीय भूमि खसरा नंबर 187 किस्म गै0 मु0 रास्ता के रकबा 08 वर्ग मीटर में टनी शैड लगाकर दिनांक 26.8.2016 को मौके से बेदखल करने के उपरान्त पश्चातवृति अतिक्रमण किया है। जिस पर अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी द्वारा विधिक प्रकिया के तहत निर्णय पारित कर विधिसम्मत कार्यवाही की गई है । अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्धान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अपीलांट द्वारा राजकीय भूमि खसरा नंबर 187किस्म गै0 मु0 रास्ता के रकबा 08 वर्ग मीटर पर टीन शैड लगाकर दिनांक 26.08.2016 को मौके से बेदखल करने के उपरान्त पश्चातवृति अतिक्रमण करने की हल्का पटवारी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर अपीलांट को विधिवत तामिल होने के बावजुद वह अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी द्वारा निर्णय दिनांक 24.11.2017 पारित किया गया है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय एवं अपील के साथ ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई जिससे वादग्रस्त भूमि पर उसका कब्जा वैधानिक साबित हो।

अपीलांट ने हाजा न्यायालय के समक्ष एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया है कि वादग्रस्त भूमि पर उसका अब कोई अतिक्रमण नहीं है। उसके द्वारा अतिक्रमण हटा लिया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार खेतड़ी द्वारा पारित **आदेश 24.11.2017 उनवानी सरकार बनाम बिहारी मु0नं0 44/2017 में गैर सायल को तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया जाता है, सजा के बिन्दू तक आदेश निरस्त किया जाता है। शेष आदेश यथावत रहेगा।** मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(एम0आर0 बागड़िया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 12.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/6/18
(एम0आर0 बागड़िया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू